Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर नगर निगम उत्तर का वरिष्ठ सहायक 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये राजेश बारासा वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर उत्तर को को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पेंशन कागजात तैयार करने की एवज में राजेश बारासा वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर उत्तर द्वारा 21 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेश बारासा पुत्र श्री बसन्तराम निवासी नवल आश्रम, बाईजी का तालाब, जोधपुर शहर हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर उत्तर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में दोनों को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।